न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **159/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. राणूलाल पुत्र हस्तीमल के का0मु0:– 1 भंवरलाल पुत्र स्व0 राणूलाल 2. शंकरलाल पुत्र स्व0राणूलाल 3. घेवरचन्द पुत्र स्व0राणूलाल 4. उत्तमचन्द पुत्र स्व0राणूलाल 5. कंचन पुत्री स्व0राणूलाल 6. अलका पुत्री स्व0राणूलाल 7. ममता पुत्री स्व0राणूलाल 2. भोमराज पुत्र हस्तीमल 3. अमरचन्द पुत्र हस्तीमल सभी जातियान– महाजन, निवासीगण– देणोक, हाल निवासी– इमाम नगर, उत्तम साईकल के पास, सिविल लाईन, खैरागढ जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ) 4. दुर्गाराम पुत्र खीयाराम जाट निवासी देणोक 5. जेठाराम पुत्र खीयाराम जाट निवासी देणोक 6. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी– देणोक 7. कानाराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी– देणोक 8. भूराराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी– देणोक 9. घमण्डाराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी– देणोक तहसील बापिणी जिला जोधपुर।		1. कसुम्बी पत्नी मोहनलाल महाजन निवासी– देणोक हाल बेलवा खत्रियान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 2. लिखमीचन्द पुत्र चान्दमल फौत के का0मु0:– 1. लालचन्द पुत्र लिखमीचन्द 2. मोतीलाल पुत्र लिखमीचन्द 3. पवन कुमार पुत्र लिखमीचन्द 4. पंकजकुमार पुत्र लिखमीचन्द 5. भंवरीदेवी पत्नी लिखमीचन्द सभी जातियान– महाजन, निवासीगण– देणोक,तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 30.04.2018 उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 24/2013 अनवान कसुम्बी बनाम राणूलाल वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बी0 के0 मेहर, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2/1 की ओर से ।
4– श्री सत्तारखॉ, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2/2 की ओर से ।
4– श्री आर.एल.बालोच, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2/1, 2/3 से 2/5 की ओर से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 24 फरवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत ख0सं0 837 रकबा 159 बीघा भूमि ग्राम देणोक के खातेदार मूलचन्द पुत्र हजारीमल का

रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/5 के पूर्व पुरूष लिखमीचन्द के नाम दिनांक 22.05.1969 को ग्राम पंचायत देणोक द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामा0 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 45 वर्ष पश्चात पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या 4 से 9 रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बगैर ही नामा0 संख्या 298 स्वीकृत दिनांक 22.05.1969 पर निरस्त करने का नोट डाला जाकर अपीलान्ट संख्या 4 से 9 का रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर दर्ज खातेदारी व नामा0 संख्या 184 दिनांक 11.5.18 को निरस्त कर दिया गया एवं अपीलान्ट संख्या 4 से 9 को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही राजस्व रेकर्ड से नाम हटाकर रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील विचारण के दौरान अपीलान्ट संख्या एक का देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने एवं उन्हें अपीलान्टस संस्थित किये जाने हेतु नियम 22 रूल्स 3 सीपीसी का प्रार्थना पेश किया गया तथा संशोधित अपील शीर्षक पेश किया गया जो पत्रावली पर लिया गया।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 से 3 द्वारा नामा0 में दर्शाई गई भूमि ख0सं0 837 मी0 में से 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 23.11.89 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कर दिया जिसका नामा0 सं. 01 दिनांक 13.6.90 को स्वीकृत हुआ तथा भूमि अपीलान्ट संख्या 4 के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार नामा0 सं0 2 जो ख0सं0 837/3 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान होने पर अपीलान्ट संख्या 5 के नाम स्वीकृत हुआ, नामा0 संख्या 3 ख0सं0 837/2 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान होने पर अपीलान्ट संख्या 6 व 7 के नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया। इसी प्रकार नामा0 संख्या 4 ख0सं0 837 मी0 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि बेचान होने पर अपीलान्ट संख्या 8 व 9 के नाम स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार उक्त ख0सं0 837 रकबा 159 बीघा की भूमि में से अपीलान्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्ट संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 को जरिये पंजीकृत दस्तावेज के बेचान किया गया जिससे उनके नाम खातेदारी में दर्ज हुई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट संख्या 4 से 9 हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार संस्थित किये जाने हेतु दिनांक 30.4.18 को प्रार्थना पत्र पेश किया उसके बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया और दिनांक 30.4.18 को ही उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया व रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु अलग से अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 सं. एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामा0 संख्या 298 के दिनांक 22.5.1969 के स्वीकृत होने के 45 वर्षो पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत की है जिसमें स्वयं को तथाकथित मूलचन्द की पत्नी बताया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया

गया जिससे यह साबित होता हो कि वह स्व. मूलचन्द की जायन्दा पुत्री है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत होने के पश्चात हस्तीमल पुत्र अमोलकचन्द का फौतेदगी का नामा0 संख्या 1052 दिनांक 4.4.69 अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के नाम स्वीकृत हुआ। अपीलान्ट संख्या 1 से 3 द्वारा नामा0 में दर्शाई गई भूमि ख0सं0 837 मी0 में से 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 23.11.89 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कर दिया जिसका नामा0 सं. 01 दिनांक 13.6.90 को स्वीकृत हुआ तथा भूमि अपीलान्ट संख्या 4 के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार नामा0 सं0 2 ख0सं0 837/3 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि का अपीलान्ट संख्या 5 के नाम स्वीकृत हुआ, नामा0 संख्या 3 ख0सं0 837/2 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट संख्या 6 व 7 के नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया। इसी प्रकार नामा0 संख्या 4 ख0सं0 837 मी0 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट संख्या 8 व 9 के नाम स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार ख0सं0 837 रकबा 159 बीघा का अपीलान्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्ट संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 को जरिये पंजीकृत दस्तावेज के बेचान किया गया जिससे उनके नाम खातेदारी में दर्ज हुई।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट संख्या 4 से 9 हितबद्ध पक्षकार होने से दिनांक 30.4.18 को प्रार्थना पत्र पेश किया उसके बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया और दिनांक 30.4.18 को ही उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया व रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है। मूलचन्द का फौतेदगी नामा0 दिनांक 22.5.1969 को दर्ज होने के पश्चात अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के पिता हस्तीमल व रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/5 के पूर्व पुरूष लिखमीचन्द के नाम करीब 20 वर्ष तक यानि नामा0 संख्या 1052 होने तक रही तब तक रेस्पो0 संख्या 1 ने कभी एतराज नहीं किया। इसके पश्चात भी अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/5 के नाम दिनांक 13.6.90 तक नामा0 संख्या 1 स 4 ग्राम बरसीगों का बास अपीलान्ट संख्या 4 से 9 के नाम रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वीकृत होने तक रही। तब भी रेस्पो0 संख्या 1 ने कभी एतराज नहीं किया। दिनांक 13.6.90 से लगातार अपीलान्ट संख्या 4 से 9 के नाम राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है व मौके पर अपीलान्ट संख्या 4 से 9 के टयूब बैल व ढाणिया इत्यादि बने हुए है। रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा नामा0 के स्वीकृत होने के 45 वर्षो पश्चात म्याद बाहर बिना किसी आधार के बिना रेकर्डेड खातेदार व मौके पर काबिज खातेदार को पक्षकार बनाये बिना पेश कर दी गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 4 से 9 द्वारा उक्त भूमि विभिन्न बैंकों से रहन रखते हुए ऋण प्राप्त करते हुए मोरगेज करवाई गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रभाव को इस्तेमाल कर दिनांक 11.5.2018 को ही नामा0 संख्या 298 पर निरस्त करने का नोट डाला एवं अपीलान्ट संख्या 4 से 9 के द्वारा बैंक से ऋण लेकर रहन की गई भूमि बाबत बिना सम्बन्धित बैंकों को नोटिस दिये सम्पूर्ण भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामा0 संख्या 184 के जरिये दर्ज कर दी गई जो शून्य नामा0 आदेश है एवं काबिल निरस्त के है। इसके अतिरिक्त उक्त अपील में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज भूमि अलग–अलग बटटा नम्बर जमाबन्दी में दर्ज होने की स्थिति में मूल खसरा व रकबा बरामद कर समेकित कर नामा0 रेस्पो0 संख्या एक के नाम दर्ज करने का किस आधार पर आदेश पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपील में कोई कारण नहीं दर्शाया है न ही अलग–अलग बटटा नम्बर के खातेदारों को अपील में पक्षकार बनाया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। साथ ही अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामा0 बहुमत से पारित नहीं किया गया है जबकि नामा0 संख्या 298 पर ग्राम पंचायत देणोक की सर्वसम्मति से यह नामा0 पास किया जाता है'' अंकित किया हुआ है तथा दिनांक 22.05.1969 दर्ज है। इस प्रकार उक्त नामा0 विधि अनुसार ही ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है जिसको निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2018 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 298 को बहाल किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 184 ग्राम जाटीसरा इन्दो का बास को निरस्त किया जावें। अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की यथा– आरआरटी 2002(1) पेज 584, आरआरटी 2019(2) पेज 1555, आरआरटी 2018(सप्ली) पेज 612, आरआरटी 2018–19(सप्ली) पेज 581, आरआरटी 2019(2) पेज 1301 इत्यादि

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके पिता मूलचन्द की खातेदारी वाली कब्जा काश्त भूमि ख0सं0 837 रकबा 159 बीघा ग्राम देणोक में स्थित थी। श्री मूलचन्द का देहान्त होने पर रेस्पो0 संख्या एक ही एकमात्र जायन्दा पुत्री थी और मूलचन्द की सम्पति की विधिक उत्तराधिकारी तथा जायज कानूनन हकदार हुई। परन्तु उसके ससुराल ग्राम बेलवा खत्रियान में निवास करने पर उसके पीहर ग्राम देणोक में पिता के नाम की भूमि का खातेदार मूलचन्द को लाऔलाद बताकर उसके बिरादरी के अन्य व्यक्तियों ने पटवारी हल्का से विरासत का नामा0 संख्या 298 गलत खोलते हुए ग्राम पंचायत सरपंच से मिलावट कर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर पारित करवा लिया। उक्त नामा0 को स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या एक को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था एवं न ही ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक बुलाई जाकर नामा0 स्वीकृत करने हेतु सर्वसम्मति ली गई।

रेस्पो0 सं. 01 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त नामा0 स्वीकृत होने की जानकारी दिनांक 30.05.2013 को रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने पीहर ग्राम देणोक आने पर हुई तथा भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त होना पाया तब पूछताछ करने पर बताया कि उनके पिता के नाम की भूमि हस्तीमल पुत्र अमोलखचन्द व अन्य के नाम विरासत नामा0 के जरिये दर्ज करवाई हुई है अब तुम्हारा उक्त भूमि पर कोई हक–अधिकार नहीं रहा है। इस पर रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क कर दिनांक 31.05.13 को नामा0 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा अपने अधिवक्ता से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय के द्वारा बाद सुनवाई राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने रेस्पो0 की ओर से की गई बहस इत्यादि पर मनन करने के उपरान्त अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 298 ग्राम देणोक को निरस्त कर तहसीलदार बापिणी को आदेशित किया गया कि विरासत का नामा संख्या 298 ग्राम देणोक पर निरस्ती का पृष्ठांकन अंकित कर ख0सं0 837 रकबा 159 के अलग बटटा नम्बर जमाबन्दी में दर्ज होने की स्थिति में मूल खसरा व रकबा बरामद कर समेकित कर नवसृजित राजस्व ग्राम जाटीसरा की भूमि का नामा0 रेस्पो0 संख्या एक के नाम खोलकर स्वीकृत किया जाकर एक सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया विधि अनुकूल व उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 सं. 01 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट राणूलाल वगैराह की ओर से अपील पेश होने पर अपीलान्ट व अन्य साथियों ने वारिसनामा प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत देणोक से सम्पर्क कर प्रयास किया व उक्त वर्णित प्रमाण पत्र दिनांक 20.6.18 जारी किया गया। इसलिये उक्त मौजिज व्यक्तियों के शपथ पत्र अत्यन्त सुसंगत होने से उन्हें रेकर्ड में लिये जाने हेतु रेस्पो0 संख्या एक ने एक प्रार्थना पत्र आदेश **41** नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया। बहीभाट श्री पीरदान राव उर्फ प्रभूसिंह राव निवासी– लाम्बिया जैतारण पाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत देणोक द्वारा वारिसनामें का प्रमाण पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर मौजूद है।

इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित किया गया कि वह ही अपने पिता मूलचन्द की एकामात्र जायन्दा पुत्री है। इसलिये मूलचन्द के देहान्त उपरान्त उनके प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी होने से उनके पिता की खातेदारी की उक्त भूमि उनके नाम दर्ज होनी चाहिये थी, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इसी आधार पर स्वीकृत नामा0 संख्या 298 को निरस्त करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के नाम नामा0 स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील बिना अधिकार बिना हक–अधिकार के एवं मिथ्या व निराधार आधारों पर प्रस्तुत की गई है जिसमे लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 को बहाल रखा जावें।

अपीलान्टस की ओर से रेस्पोडेन्टस के द्वारा दिनांक 2.8.2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रत्युतर दिनांक 11.06.2020 को पेश करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रेकर्ड पर नहीं लिये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किये गये अनुमति प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा संशोधित शीर्षक को रेकर्ड पर लिया जाता है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रस्तुत प्रत्युतर का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 298 ग्राम देणोक दिनांक 22.05.1969 को पारित किया गया व उक्त खसरान की भूमि मूलचन्द के फौत होने पर मूलचन्द के स्थान पर हस्तीमल व लिखमीचन्द के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात हस्तीमल के फौत होने पर दिनांक 10.05.1989 को भूमि हस्तीमल के स्थान पर राणूलाल, भोमराज व अमरचन्द के नाम दर्ज की गई। दिनांक 13.06.1990 को श्री दुर्गाराम पुत्र खीयाराम जाट द्वारा खसरा संख्या 837 में 39.15 बीघा भूमि खरीद की गई। जेठाराम पुत्र खीयाराम जाट द्वारा भी दिनांक 13.06.1990 को खसरा संख्या 838 में 39.15 बीघा भूमि की खरीद की गई। मोहनराम, कानाराम पि0 गिरधारीराम जाट द्वारा ख0सं0 837 में 39. 15 बीघा भूमि दिनांक 13.06.1990 को खरीद की गई। भूराराम, घमण्डाराम पि0 गिरधारीराम द्वारा दिनांक 13.6.1990 को ख0सं 837 में 39.15 बीघा भूमि की खरीद की गई। इस प्रकार भूमि के कई बार नामा0 स्वीकृत हुए व बेचान भी हुए। अपील अनुसार रेकर्डेड खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त है तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, टयूबवेल, टांके, बाडे इत्यादि बने हुए है। उक्तानुसार हितबद्ध व रिकार्डेड खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

हस्तगत नामान्तरकरण संख्या 298 दिनांक 22.05.1969 को पारित किया गया। उक्त नामा0 की अपील वर्ष 2013 में यानि 44 साल पश्चात की गई है। 44 साल में मौका स्थिति, कब्जा, रहवास सब बदल गये है व भूमि का बेचान भी हो चुका है। 44 साल की देरी को कन्डोन करने का कोई ठोस व विश्सनीय कारण रेस्पोडेन्टस द्वारा नहीं बताया गया है। मात्र यह कहना कि 44 साल बाद नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि–

> The Law of issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. in case a party found to be negligent , or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case , or found to have not acted diligently or remained inactive , there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such as inordinate delay be imposing any condition whatsoever . The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay . In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statuary provisions that tantamounts to

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायिक दृष्टान्त 2019 (2) आरआरटी पेज 1555 अनुसारः—
Remanding a Case for enquiry of heirs after 45 years of the Mutation is not justified.

न्यायिक दृष्टान्त 2018–19(Supp) आरआरटी पेज 581 अनुसारः—
khatedari rights can not be Cancelled by summary proceedings
इंगित किया गया है।

उक्तानुसार इतने लम्बे समय पश्चात नामान्तरकरण की कार्यवाही में वारिसान की जॉच हेतु प्रकरण को भिजवाया जाना इस न्यायालय की सुविचारित राय में उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रथमतः अपील की मियाद का प्रश्न नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने में बाधक है व विलम्ब का न्यायोचित ठोस व उचित कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। द्वितीय नामान्तरकरण एक राजकोषिय कार्यवाही है इसके अन्तर्गत किसी पक्ष के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। साथ ही हितबद्ध व रिकार्डेड खातेदारान की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन उपरान्त अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से पूर्व की राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी प्रविष्टियां बहाल रखी जाती है। निर्णय आज दिनांक 24 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर